फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या रामफूल v/s सरकार 2024/58

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	22/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/5/25 को पेश हो	
	23/05/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार ~~वजरी~~ तूंगा से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है। प्रकरण पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/5 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
	30/05/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 06/06/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
	06/06/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। प्रा०पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से शामिल किया जाकर है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :- 159/2024   सी.सी.एम.एस. संख्या :- 2024/58

1 रामफूल पुत्र रामसहाय आयु 62 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला जयपुर।

—प्रार्थी—

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2 [illegible] पुत्र [illegible] मीना
3 [illegible] पुत्र [illegible]
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम [illegible] तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4 सीता देवी पत्नी गोपाल
5 मीना देवी पुत्री गोपाल
6 सोना देवी पुत्री गोपाल
7 जगदीश पुत्र गोपाल
जाति मीना निवासी [illegible] तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8 प्रभाती देवी पत्नी प्रभुदयाल जाति मीना निवासी [illegible] तहसील तूंगा जिला जयपुर।
9 गुल्ला पुत्र किशना
10 राजू पुत्र किशना
11. रामकिशोर पुत्र किशना
12. शंकर पुत्र किशना
जाति मीना निवासी ग्राम देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — श्री धारा सिंह गुर्जर, एड० प्रार्थीगण
श्री सुधीर शर्मा, एड०—अप्रार्थीगण संख्या 9,10,11

— निर्णय —   दिनांक 08/08/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.4046 है0, खसरा नम्बर 72/3 रकबा 1.0116 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4162 है0 वाके ग्राम बाढमहादेवपुरा पटवार हल्का खतैपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी से दिनांक 27.06.2023 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाब्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.4046 है0, खसरा नम्बर 72/3 रकबा 1.0116 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4162 है0 वाके ग्राम बाढमहादेवपुरा पटवार हल्का खतैपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर मे स्थित है, जिसके सीमावोल पर लगता खसरा नम्बर 75/3, 75/6, 72/4, 71/2, 119/37 अप्रार्थी संख्या 2 ता 13 की खातेदारी भूमि है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर की दिनांक 27.06.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाब्ता तार फैन्सिंग कर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 एवं 12व 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 11 वकालतन उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 9, 10, 11 ने जवाब पेश न करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया गया। तहसीलदार तूंगा पत्रांक भू.अ./2025/1567 द्वारा रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 को प्रेषित की गई जो शामिल मिसल है।

3 अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 23.04.2025 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया, वही अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.4046 है0, खसरा नम्बर 72/3 रकबा 1.0116 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4162 है0 वाके ग्राम बाढमहादेवपुरा पटवार हल्का खतैपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर की नकल पेश की।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.4046 है0, खसरा नम्बर 72/3 रकबा 1.0116 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4162 है0 वाके ग्राम बाढमहादेवपुरा पटवार हल्का खतैपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 27.06.2023 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 21.04.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 27.06.2023 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :– *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.4046 है0, खसरा नम्बर 72/3 रकबा 1.0116 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4162 है0 वाके ग्राम बाढमहादेवपुरा पटवार हल्का खतैपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2023 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner